छत्तीसगढ़ शासन,
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर.

कमांक : एफ 4–16/2009/18 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10 /10/2024

प्रति,

1. **समस्त आयुक्त,**
   नगर पालिक निगम,
   छत्तीसगढ़

2. **समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,**
   नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत,
   छत्तीसगढ़

विषय :– नगरीय निकायों के कार्यरत् अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भुगतान के संबंध में।

संदर्भ :– शासन का पत्र क्रमांक एफ 4–16/2009/18, दिनांक 13.07.2021.

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा नगरीय निकायों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन का भुगतान प्रत्येक माह की 07 तारीख के पूर्व करने के निर्देश दिये गये है, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 13.07.2021 में संशोधन करते हुए प्रत्येक माह की 07 तारीख के स्थान पर माह की 01 तारीख को वेतन का भुगतान करना सुनिश्चित करें। संदर्भित पत्र द्वारा दिये गये शेष निर्देश यथावत् रहेंगे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(डॉ. ऋतु वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

–– 2 ––

Letter 2024

471

पृ. क्रमांक : एफ 4–16/2009/18 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10/10/2024

प्रतिलिपि :–

01. निज सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
02. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
03. समस्त संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

04. गार्ड फाईल हेतु।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर

क्रमांक : एफ 4–16/2009/18 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 13/07/2021

प्रति,

1. समस्त आयुक्त,
   नगर पालिक निगम, छत्तीसगढ़।
2. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
   नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत,
   छत्तीसगढ़।

विषय :– नगरीय निकाय में कार्यरत् अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भुगतान के संबंध में।

सन्दर्भ :– शासन का पत्र क्र. 741/प्र.सू.प्र./91, दिनांक 13.11.1991 एवं पत्र क्र. 5626/6632/09, दिनांक 28.10.2009

—00—

नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं नगर पालिका अधिनियम 1961 के अनुसार, नगरीय निकायों को स्वशासी संस्था के रूप में संविधान द्वारा गठन किया गया है तथा गठन के समय स्थानीय सरकार के रूप में कार्य करने हेतु वित्तीय संसाधन संग्रहण करने हेतु करों को अधिरोपित करने का अधिरोपित करने का अधिकार दिया गया है।

नगरीय निकायों में वित्तीय प्रबंधन ठीक से नहीं होने के फलस्वरूप निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों को माह के नियत 07 तारीख तक वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान नहीं किया जाता है तथा शासन से वेतन आदि हेतु राशि की मांग की जाती है। शासन द्वारा नगरीय निकायों को देय क्षतिपूर्ति अनुदान का समय पर भुगतान कर दिया जाता है। शासन के द्वारा इस संबंध में समय–समय पर स्थापना व्यय की सीमा 65 प्रतिशत तक किये जाने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।

नगरीय निकायों के वित्तीय प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए नगरीय निकायों से अपेक्षा है कि अपने आय एवं व्यय में संतुलन रखा जाकर स्थापना संबंधी व्यय के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन की व्यवस्था सुनिश्चित करें। राजस्व आय में वृद्धि के लिए ठोस प्रयास करते हुए की गई कार्यवाही से अवगत कराएं।

अतः समस्त नगरीय निकाय आय एवं व्यय में संतुलन के लिए संसाधनों को परीक्षण कर स्थापना व्यय 65 प्रतिशत की सीमा में रखना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में प्रत्येक माह की 07 तारीख तक वेतन भुगतान सुनिश्चित करें।

13/7/21

(एच.आर. दुबे)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

निरन्तर ....

श्री शर्मा

letter 2021.doc

Scanned with CamScanner

पृष्ठां. क्रमांक : एफ 4–16/2009/18 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13/07/2021

प्रतिलिपि,

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
2. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, इन्द्रावती भवन,
3. समस्त संयुक्त संचालक, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास,
4. प्रोग्रामर, डाटा सेन्टर, संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास, नवा रायपुर को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

5. ऑर्डर बुक।

13/7/21

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

Scanned with CamScanner